UPSI120018492026

न्यायालय सिविल जज (जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट- बिसवाँ, सीतापुर।
पीठासीन अधिकारी(कुंवर दिव्यदर्शी)(उ०प्र०न्यायिक सेवा)UP3421
जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-154/2026
जसपाल बनाम सरकार उत्तर प्रदेश।

अपराध सं० 272/2000
धारा-323, 506, 504 भा०दं०सं०
थाना बिसवाँ, जनपद- सीतापुर।

दिनाँक-12.03.2026

निस्तारण जमानत प्रार्थना पत्र

प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र थाना बिसवाँ जनपद सीतापुर पर पंजीकृत अपराध सं० 272/2000, अन्तर्गत धारा-323, 506, 504 भा०दं०सं० में अभियुक्त **जयपाल** की ओर से प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त जिला कारागार सीतापुर में निरुद्ध है।

अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र में यह कथन किया गया है कि उसे झूठा व रंजिशन फंसाया गया है। वह निर्दोष हैं। उसे जमानत पर रिहा किये जाने पर वह जमानत पर दुरुपयोग नहीं करेगा।

जमानत प्रार्थना पत्र पर सुना एवं सम्पूर्ण प्रपत्रों का सम्यक परिशीलन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि न्यायालय द्वारा जारी गैर जमानतीय वारण्ट को निरस्त करने हेतु अभियुक्त द्वारा प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसे न्यायालय द्वारा निरस्त कर उसे जिला कारागार सीतापुर प्रस्तुत किया गया। अभियुक्त जिला कारागार सीतापुर में निरुद्ध है। उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त **जयपाल** को जमानत पर रिहा किए जाने का पर्याप्त आधार है।

आदेश

अभियुक्त **जयपाल** द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रत्येक अभियुक्त को रुपये 20,000/- का व्यक्तिगत बंधपत्र व समान धनराशि की दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाये।

दिनाँक-12.03.2026

(कुंवर दिव्यदर्शी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट
बिसवाँ, सीतापुर

दुर्गा शंकर (स्टेनो)/-